दि राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0, जयपुर

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना

- राज्य में त्रिस्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना विद्यमान है। शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक व जिला स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। प्रतापगढ, राजसमंद, करौली व धौलपुर जिलों में वर्तमान में पृथक केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत नहीं है तथा इन जिलों में पैतृक जिले में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा सहकारी साख उपलब्ध करवाई जा रही है।

- वर्ष 2008 में 5255 समितियों कार्यरत थी जो 31 मार्च, 2017 को बढकर 6411 हो गई।

- राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक इन सभी संस्थाओं की राज्य स्तरीय शीर्ष संस्था है। राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक (अपेक्स बैंक) द्वारा सभी केन्द्रीय सहकारी बैको को उनके द्वारा वितरित ऋणों का पुनर्भरण उपलब्ध करवाया जाता है। अपेंक्स बैंक द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण व उन्हें विभिन्न कार्यकलापों पर मार्ग दर्शन प्रदान किया जाता है।

- बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर, 1953 को हुई। राज्य सहकारी बैंक की कुल 16 शाखायें कार्यरत है, जिनमें से 5 क्षैत्रीय शाखायें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा व बीकानेर में कार्यरत है तथा शेष 11 शाखायें जयपुर शहर में संचालित है। दिनांक 31.3.2017 को केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कुल 443 शाखायें संबंधित बैंकों के कार्यक्षैत्र में बैंकिंग व्यवसाय कर रही है।

- राज्य सहकारी बैंक एवं सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञा पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य सहकारी बैंक शिड्यूल्ड बैंक है।

- राज्य सहकारी बैंक एवं सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक व सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में निर्वाचित संचालक मंडल स्थापित किया गया। राज्य सहकारी अधिनियम में पुनरूद्वार पैकेज के प्रावधानों के अनुरूप अप्रेल, 2010 में संशोधन कर इन संस्थाओं का दायित्व सहकारिता की भावना के अनुरूप निर्वाचित संचालक मंडलों को सौपा गया है। जिन संस्थाओं के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां पुनः चुनाव कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा इस बीच संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त किये जाते है।

राज्य सहकारी बैंक की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है :–

<table>
<tr><td colspan="6">आम सभा</td></tr>
<tr><td colspan="6">संचालक मंडल</td></tr>
<tr><td colspan="6">प्रबंध निदेशक</td></tr>
<tr><td colspan="6">महाप्रबंधक (3)</td></tr>
<tr><td>उपमहाप्रबंधक
(परिचालन)</td><td>उपमहाप्रबंधक
(आ0वि0)</td><td>उपमहाप्रबंधक
(ले.वि.)</td><td>उपमहाप्रबन्धक
(ईडीपी)</td><td>उपमहाप्रबंधक
(प्र.का.)</td><td>उपमहाप्रबंधक
(नि.पर्य.)</td></tr>
</table>

प्रमुख गतिविधियॉ

1. अल्पकालीन ऋण वितरण :

- भारत सरकार की नीति अनुसार दिनांक 01.04.2006 से राज्य में 29 केन्द्रीय सहकारी बैंको एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को विशेषकर लघु एवं सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्प संख्यक समुदाय के किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रूपये 3.00 लाख तक के अल्पकालीन फसली ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जा रहे है।
- वर्ष 2017–18 के बजट में रूपये 3.00 लाख तक के वितरित अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना राज्य में दिनांक 01.04.1999 से लागू कर राज्य में भी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानो को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जा रहा है।
- जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा मिनी बैंक का कार्य किया जा रहा है उन समितियों द्वारा अपने स्तर से ही किसानों को ऋण वितरण किया जा रहा है जिससे किसानों को ऋण आसानी से उपलब्ध हो रहा है।
- ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास बीज एवं खाद की उपलब्धता नहीं होने पर सदस्य किसानों को खाद एवं बीज क्रय करने के लिये नकद राशि का भुगतान किया जा रहा है।
- समय पर ऋण का चुकारा करने वाले किसानों को बिना अन्तराल के अर्थात ऋण चुकाते ही पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- वर्ष 2017–18 में किसानों को 15000 करोड रूपये के फसली सहकारी ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 31.8.2017 तक 2115485 काश्तकारों को 8767.12 (तदर्थ) करोड रूपये से अधिक के फसली सहकारी ऋण दिये जा चुके है।

गत 5 वित्तीय वर्षों में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण की प्रगति :

- दिनांक 31 मार्च 2017 को लगभग 34,28,796 किसान क्रेडिट कार्ड परिचालित थे जो दिनांक 31 जनवरी, 2017 को 34,07,806 रह गये।
- गत 5 वर्षो में सहकारी बैंको द्वारा वितरित अल्पकालीन फसली ऋण वितरण एवं लाभान्वित कृषको की विगत निम्न प्रकार है –

वर्ष	अल्पकालीन ऋण वितरण	
	लाभान्वित कृषकों की संख्या	राशि (करोड़ में)
2012–13	2653559	11215.91
2013–14	3161924	16830.54
2014–15	2921626	16017.36
2015–16	2602586	15441.85
2016–17	2332335	13540.46

2. मध्यकालीन ऋण वितरण :

अ) मध्यकालीन सहकारी कृषि निवेश ऋण वितरण–

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा कृषि निवेश के विभिन्न प्रयोजनों यथा– ट्रैक्टर, कृषि यंत्रीकरण, डेयरी विकास योजनान्तर्गत, लघु सिंचाई के विभिन्न उद्देश्यों, ग्रामीण गोदाम, वर्मी कम्पोस्ट, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, किसान सम्बल योजना एवं अन्य प्रयोजनों हेतु गत पांच वित्तीय वर्षों में राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2012-13	26145.87
2013-14	31793.40
2014-15	36368.28
2015-16	44651.87
2016-17	43258.30
2017-18 (July, 2017)	28058.01

ब) मध्यकालीन सहकारी अकृषि निवेश ऋण वितरण

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा अकृषि निवेश के विभिन्न प्रयोजनों यथा– उद्यम ऋण, लघु भार वाहन ऋण, आवास ऋण, अक्षय सौर ऊर्जा, अन्य प्रयोजनों हेतु गत पांच वित्तीय वर्षों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2012-13	9956.30
2013-14	7032.74
2014-15	6710.72
2015-16	8179.21
2016-17	8930.50
2017-18 (July, 2017)	1504.71

वित्तीय स्थिति

1- लाभ शीर्ष बैंक / केन्द्रीय सहकारी बैंक :

पॉच वर्षो के लाभ की स्थिति निम्नानुसार है :

(राशि लाखों में)

वर्ष	शीर्ष बैंक	केन्द्रीय सहकारी बैंक
2012–13	2353.33	5008.25
2013–14	1512.70	(–)1540.53
2014–15	2632.17	1433.60
2015–16	2194.20	2116.75
2016–17	4179.60	1757.24

2. अमानते :

शीर्ष बैंक

(राशि लाखों में)

वर्ष	अमानतें	वृद्धि दर	अमानतों की लागत
2012–13	445811.00	24.53	8.84
2013–14	547726.81	22.86	8.73
2014–15	552112.99	0.80	8.68
2015–16	416674.76	-24.53	8.33
2016–17	427540.15	2.61	7.30

केन्द्रीय सहकारी बैंक

(राशि लाखों में)

वर्ष	अमानतें	वृद्धि दर	अमानतों की लागत
2012–13	824188.53	16.66	7.26
2013–14	919404.78	11.55	7.88
2014–15	979990.12	6.59	7.64
2015–16	1016708.98	3.75	7.57
2016–17	1142462.35	12.37	6.82

3. वसूली :

अ) कुल कृषि मांग व उसके विरूद्ध वसूली:

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ वितरित किये गये समस्त ऋणों के विरूद्ध गत 5 वर्षो की कुल मांग के विरूद्ध की गई वसूली का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि लाखों में)

वर्ष (जुलाई–जून)	कुल मांग	कुल वसूली	वसूली प्रतिशत
2012–13	1254251.05	1168745.05	93.18
2013–14	1784145.10	1611678.64	90.33
2014–15	1814739.89	1637718.10	90.25
2015–16	1778367.70	1478142.87	83.12
2016–17 (तदर्थ)	1717278.31	1413565.10	82.31

ब) मध्यकालीन कृषि निवेश ऋण वसूली :

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा कृषि निवेश के विभिन्न उद्देश्यों हेतु वितरित किये गये ऋणों के विरूद्ध गत पांच वर्षों की कुल मांग के विरूद्ध की गई वसूली का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष (जुलाई–जून)	कुल मांग	कुल वसूली	वसूली प्रतिशत
2012-13	28233.35	20524.44	72.70
2013-14	34558.71	25332.93	73.30
2014-15	41068.52	30783.80	74.96
2015-16	46756.52	32816.89	70.19
2016-17	52596.69	34944.24	66.44

स) मध्यकालीन अकृषि निवेश ऋण वसूली :

अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे द्वारा अकृषि निवेश के विभिन्न उद्देश्यों हेतु वितरित किये गये ऋणों के विरूद्ध गत पांच वर्षों की कुल मांग के विरूद्ध की गई वसूली का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष (जुलाई–जून)	कुल मांग	कुल वसूली	वसूली प्रतिशत
2012-13	20672.54	13095.65	63.35
2013-14	20453.11	12631.91	61.76
2014-15	22951.00	14590.06	63.57
2015-16	22579.87	12453.45	55.07
2016-17	22679.48	12315.82	54.30

मुख्य योजनाओं की कियान्विति

1. सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड :

राज्य में अल्पकालीन फसली ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वितरित किये जा रहे है। वर्ष 2016–17 में कुल 23,32,335 किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को रूपये 13540.46 करोड का फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया जबकि वर्ष 2017–18 के दौरान दिनांक 31.8.2017 तक 3115485 किसान केडिट कार्ड धारकों को फसली ऋण से लाभान्वित करते हुये राशि रूपये 8767.12 करोड(तदर्थ) का ऋण वितरण किया गया।

2. ज्ञान सागर ऋण योजना :

राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र–छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अभिभावकों अथवा स्वयं छात्र को वित्तीय सहायता उपब्ध कराने के उद्देश्य से ज्ञान सागर ऋण योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर 6.00 लाख रूपये तथा विदेश में शिक्षा प्राप्त करने पर 10.00 लाख रूपये निर्धारित है। छात्राओं को ब्याज दर में 0.50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान है। योजनान्तर्गत राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गत पांच वित्तीय वर्षों में निम्नानुसार ऋण वितरण किया गया है :

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2012-13	24.49
2013-14	13.79
2014-15	15.77
2015-16	6.44
2016-17	7.72

3. स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा :

(i) राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा गत पांच वर्षों में गठित किये गये महिला स्वयं सहायता समूहों एवं वितरित किये गये ऋणों का विवरण निम्नानुसार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	बैंक वित्त से कड़ीबंधित समूहों की संख्या	ऋण वितरण
2012-13	6167	5368.45
2013-14	6180	4949.43

2014-15	3600	3410.00
2015-16	2638	2894.81
2016-17	1593	1886.67
2017-18 (July, 2017)	557	656.83

(ii) 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना :

स्वंय सहायता समूहों को समय पर ऋण का चुकारा करने पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना 1 जुलाई, 2010 से लागू की गई थी। योजनान्तर्गत तीन वर्षों में लाभान्वित समूहों की संख्या एवं राशि का विवरण निम्न प्रकार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	लाभान्वित समूहों की संख्या	ब्याज अनुदान राशि
2012-13	2649	35.76
2013-14	14144	61.84
2014-15	12322	54.27
2015-16	15955	81.96
2016-17	675	4.43

4. स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना :

राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत ग्रामीण दस्तकार/लघु उद्यमी/लघु व्यवसायी/हस्तशिल्पी व पारंपरिक व्यावसायियों को अपने पारम्परिक व्यवसाय में अभिवृद्धि एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु गत पांच वर्षों में वितरित किये गये ऋणों का विवरण निम्नानुसार है–

(राशि लाखों में)

वर्ष	कुल ऋण वितरण
2012-13	1708.71
2013-14	1905.47
2014-15	1564.04
2015-16	1842.72
2016-17	1173.11
2017-18 (July, 2017)	745.74

5. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की जाती है जिसके तहत संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल उगाने वाले ऋणी किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। कृषि विभाग की अधिसूचना के अनुरूप केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ऋणी कृषकों की प्रीमियम राशि व घोषणापत्र संबंधित बीमा कम्पनी को भिजवाये जाते है। उक्त योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा एक पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा भी योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिये एक अन्य पोर्टल प्रारंभ किया है जिसमें सूचनाऐं अपलोड किये जाने पर केन्द्र सरकार के पोर्टल पर पृथक से अपलोड किये जाने की आवश्यकता नही रहती है। राज्य के समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उनके स्तर से सूचनाऐं अपलोड की जा रही है।

6. राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना :

मैसर्स न्यू इण्डिया ऐश्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को राशि रूपये 6.00 लाख तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुरक्षा राशि रूपये 55.00

प्रति सदस्य प्रति वर्ष (मय जीएसटी) की दर पर अनिवार्यतः उपलब्ध करवाये जाने हेतु समझौता ज्ञापन दिनांक 23 मई, 2017 को निष्पादित किया गया। उक्त प्रीमियम राशि में से आधी प्रीमियम राशि अर्थात रूपये 27.50 ऋणी कृषक द्वारा तथा शेष राशि रूपये 27.50 शीर्ष बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा आधी–आधी वहन की जावेगी।

7. सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना :

मैसर्स एसबीआई लाईफ इन्श्योरेंस कम्पनी के माध्यम से वर्ष 2017–18 के लिये ऋणियों व किसानों को ऋण राशि रूपये 10 लाख की अधिकतम सीमा तक का जीवन बीमा राशि रूपये 8.81 प्रति हजार प्रति व्यक्ति (सर्विस टैक्स सहित) उपलब्ध कराने हेतु 19 जुलाई, 2017 में समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया।

8– सीबीएस एवं फाईनेन्शियल इन्क्लूजन गेटवे क्रियान्विति की प्रगति :

- राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक एवं 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के केन्द्रीकृत कॉमन डाटा सेंटर का निर्माण शीर्ष बैंक के प्रधान कार्यालय में किया गया है।
- राज्य के शीर्ष सहकारी बैंक एवं 29 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की समस्त 492शाखाऐं (मय प्रधान कार्यालय) कोर बैंकिंग वातावरण में परिचालित की जा रही हैं।
- शीर्ष बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से आरटीजीएस/एनईएफटी की सीधी सदस्यता प्राप्त है।केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा शीर्ष बैंक की सब–मेंबरशिप में आरटीजीएस/एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध है। उक्त सभी सहकारी बैंकों की शाखाओं द्वारा ग्रहकों को आरटीजीएस/एनईएफटी कि सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
- सहकारी बैंकों के डाटा सेंटर में स्वयं का ईएफटी स्विच इंस्टॉल किया गया है। शीर्ष बैंककी 12 शाखाओंमें एटीएम स्थापित कर परिचालित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 65 शाखाओं में एटीएम स्थापित किये जा चुके हैं तथा अन्य में एटीएम स्थापित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- सभी सहकारी बैंकों द्वारा एनपीसीआई के एनएफएस प्लेटफार्म पर सर्टिफिकेशन पूर्ण कर लिया है। सभी बैंक एनएफएस प्लेटफार्म पर लाईव हैं एवं बैंकों द्वारा ग्राहकों को भामाशाह को–ब्राण्डेड रूपे एटीएम डेबिट कार्ड वितरित किए गये हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ईएमवी रूपे किसान कार्ड जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- शीर्ष बैंक की डाटा माईग्रेशन एवं आई.एस. ऑडिट नैबकॉन्स द्वारा पूर्ण की गई है।
- डाटा सेंटर में बैंक का स्वयं का वेब सर्वर, ई–मेल सर्वर एवं एसएमएस अलर्ट सिस्टम स्थापित है।
- ग्राहकों को उनके द्वारा खातों में किए जा रहे लेनदेन केएसएमएस अलर्ट भिजवाए जा रहे हैं।
- ग्राहकों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर) की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
- राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में परिचालित किए जा रहे कोर बैंकिंग प्लेटफार्म की सुविधा पैक्स/ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के उद्धेश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार के सहयोग से Financial Inclusion Gateway (FIG) की क्रियान्विति की गई है। पैक्स/लैम्पस/ई–मित्र केन्द्रों को बिजनेस कोरसपोन्डेन्ट बनाकर बैंकिंग सुविधाऐं ग्राम स्तर पर काश्तकारों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं।